79

कुलपति महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 14 मार्च 2015 को सम्पन्न उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति की सातवीं बैठक का कार्यवृत्त

बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित थे :

1-	प्रो0 सुभाष धूलिया, कुलपति	-	अध्यक्ष
2-	प्रो0 गोविन्द सिंह, निदेशक	-	सदस्य
3-	प्रो0 आर0सी0 मिश्र, निदेशक	-	सदस्य
4-	प्रो0 जे0के0 जोशी, निदेशक	-	सदस्य
5-	डा0 संजय ध्यानी उपकुलसचिव	-	सदस्य
6-	डा0 सूर्यभान सिंह, सहायक परीक्षा नियंत्रक	-	सदस्य
7-	डा0 गगन सिंह, सहायक परीक्षा नियंत्रक	-	सदस्य
8-	श्री द्विजेश उपाध्याय, सहायक परीक्षा नियंत्रक	-	सदस्य

परीक्षा नियंत्रक द्वारा परीक्षा समिति के अध्यक्ष की अनुमति से बैठक आरम्भ हुई । समिति के सम्मानित सदस्यों तथा उपस्थित अधिकारियों का अभिनन्दन तथा स्वागत करते हुए समिति के समक्ष संबंधित प्रस्तावों पर विचार हेतु सदस्यों को आमंत्रित किया जिस पर बैठक में प्रस्तावबार चर्चा की गयी तथा निम्न संस्तुति प्रदान की गई :

7.1 छठी बैठक दिनांक 04 फरवरी 2014 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

परीक्षा समिति की 6वीं बैठक (4 फरवरी 2014) के कार्यवृत्त का अनुमोदन, परीक्षा समिति द्वारा किया गया।

7.2 परीक्षा समिति की छठी बैठक दिनांक 04 फरवरी 2014 के निर्णयों पर कृत कार्रवाई

परीक्षा समिति की 6वीं बैठक (4 फरवरी 2014) के निर्णयों पर की गई कृत कार्रवाई का समिति द्वारा अनुमादेन किया गया।

7.3 परीक्षा के दौरान परीक्षा केन्द्रों में सहायक कक्ष निरीक्षक (रीलिवर) व अन्य कर्मचारियों को नियुक्त किये जाने एवं मानदेय के सम्बन्ध में विचार एवं अनुमोदन के सम्बन्ध में।

परीक्षा के दौरान परीक्षा केन्द्रों में किसी पाली में 100 से अधिक पंजीकृत छात्र होने पर 01, और 200 से अधिक होने पर 02 कक्ष निरीक्षक की रिजर्व ड्यूटी की नियुक्त करने की संस्तुति समिति द्वारा दी गई।

7.4 प्रयोगात्मक परीक्षा, मौखिक परीक्षा एवं परियोजना कार्य के मूल्यांकन कार्य आदि हेतु परीक्षकों को दिये जाने वाले मानदेय एवं उक्त परीक्षा हेतु पर्यवेक्षक की नियुक्ति हेतु विचार एवं अनुमोदन के सम्बन्ध में।

प्रयोगात्मक परीक्षा, मौखिक परीक्षा एवं परियोजना कार्य के मूल्यांकन कार्य हेतु परीक्षकों को नियुक्ति के संबंध में, समिति द्वारा यह सुझाव दिया गया कि उक्त तीनों की अनिवार्यता/वैकल्पिकता के आधार पर, संबंधित विद्याशाखाओं के निदेशकों द्वारा प्रस्तुत आय-व्यय के आधार पर एक प्रस्तावित दर का निर्धारण किया जाए तथा यह भी सुझाया गया कि उक्त के सन्दर्भ में गठित समिति के प्रतिवेदन को माननीय कुलपति जी की स्वीकृति के बाद वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुमोदन दिया।

Examination Controller
Uttarakhand Open University
Haldwani (Nainital) UK.

7.5 विश्वविद्यालय परीक्षा के दौरान स्थानीय पर्यवेक्षकों को मानदेय के अतिरिक्त रू0 50 या अधिक लोकल कन्वेयेंस की स्वीकृति पर विचार एवं अनुमोदन।

विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त स्थानीय पर्यवेक्षकों को उनके आवास से परीक्षा केन्द्र तक स्थानीय यात्रा भत्ते के रूप में न्यूनतम 50 रू0 और अधिकतम रू0 200 प्रदान किया जाए जाने पर अपनी संस्तुति दी। साथ ही उड़नदस्ते और पर्यवेक्षको के मानदेय में एकरूपता लाने के लिए उड़नदस्ते के प्रत्येक सदस्य को भी रू0 700, (जो कि वर्तमान में 600 रू0 है) प्रदान किया जाने पर समिति द्वारा संस्तुति दी गई। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा यह भी सुझाया गया कि विशेष पर्यवेक्षक की नियुक्ति, परीक्षा नियंत्रक के प्रस्ताव, जो माननीय कुलपति जी द्वारा स्वीकृत हो, के आधार पर, रू0 1000 प्रतिदिन मानदेय प्रदान किया जाए।

7.6 विश्वविद्यालय परीक्षा के दौरान परीक्षा केन्द्र को दिये जाने वाले आनुषंगिक व्यय में विचार कर संशोधन के सम्बन्ध में।

परीक्षा के दौरान परीक्षा केन्द्रों को दिये जाने वाले आनुषांगिक व्ययों के संबंध में, समिति द्वारा निम्न भुगतान दरों पर संस्तुति दी गई।

(1) न्यूनतम 1500 या 12 रू0 प्रति छात्र की दर से, इन दोनों में जो अधिक हो।

(2) अधिकतम 8000 रू0 तक।

(3) इसी क्रम मे जनरेटर के बिल के भुगतान के निर्धारण के संबंध में यह सुझाया गया कि इसका भुगतान बाजार की दर के आधार (प्रति घंटे), जो केन्द्राध्यक्ष के द्वारा प्रमाणित की गई हो, किया जाए।

7.7 परीक्षा के दौरान SIS में अंकों की प्रविष्टि, चैकसम एवं टेबुलेशन कार्य हेतु मानदेय निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।

परीक्षा के दौरान एस.आई.एस. में अंको की प्रविष्टि, चेकसम एवं टेबुलेशन कार्य हेतु, मानदेय निर्धारण के संबंध में समिति द्वारा, संलग्नक 'ख' में प्रस्तावित दरों को लागू करने की सहमति प्रदान की गई।

7.8 विश्वविद्यालय परीक्षा के दौरान गोपनीय कार्यों हेतु यात्रा करने वाले अधिकारियों, शिक्षण वर्ग, तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी व ड्राइवर कर्मचारियों को डी0ए0 के अतिरिक्त अन्य मानदेय संशोधन के सम्बन्ध में।

परीक्षा के दौरान गोपनीय कार्य हेतु यात्रा करने वाले अधिकारियों, शिक्षक वर्ग, तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी व ड्राइवर कार्मिकों को डी0ए0 के अतिरिक्त किये जाने वाले भुगतान को मानदेय के रूप में न देकर यात्रा व्यय प्रतिपूर्ति के रूप में भुगतान किये जाने पर समिति द्वारा संस्तुति दी गई। अधिकारी एवं शिक्षक वर्ग के लिए रू0 700 प्रतिदिन, प्रतिव्यक्ति तथा तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी एवं ड्राइवर कार्मिकों के लिए रू0 500 प्रतिदिन, प्रतिव्यक्ति को यात्रा व्यय प्रतिपूर्ति की संस्तुति दी गई।

7.9 वर्तमान में डिग्री, डिप्लोमा व प्रमाणपत्र दिये जाने हेतु पूर्व निर्धारित दरों में संशोधन किये जाने के संबंध में।

डिग्री, डिप्लोमा व प्रमाणपत्र दिये जाने हेतु पूर्व निर्धारित दरों में संशोधन के सम्बन्ध में, समिति द्वारा यह सुझाया गया कि उक्त के सम्बन्ध में, परीक्षा विभाग दरों का निर्धारण कर, शुल्क निर्धारण समिति को अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

7.10 प्रश्नपत्रों के मोडरेशन हेतु वाह्य व आन्तरिक परीक्षकों को देय धनराशि के संबंध में।

प्रश्नपत्रों के माडरेशन हेतु वाह्य व आन्तरिक परीक्षकों को वर्तमान (संलग्नक 'घ') देय धनराशि पर समिति द्वारा अपनी सहमति प्रदान की गई।

7.11 परीक्षा विभाग में कार्य कर रहे कार्मिकों को परीक्षा के दौरान मानदेय भुगतान किये जाने के संबंध में।

परीक्षा विभाग में कार्यरत कार्मिकों को, परीक्षाओं और परीक्षाफल तैयार करने वाले दिनों पर अतिरिक्त कार्य के लिए प्रोत्साहन राशि के निर्धारण हेतु समिति द्वारा यह सुझाया गया कि इस संबंध में प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालयों में लागू दरों का तुलनात्मक अध्ययन कर उचित दर से भुगतान किया जाए।

For [signature] Controller
Uttarakhand Open University
Haldwani (Nainital) UK.

7.12 परीक्षा कार्य हेतु सेमेस्टर परीक्षा व वार्षिक परीक्षा में परीक्षा विभाग के अधिकारियों व कार्मिकों को मोबाइल रिचार्ज सुविधा दिये जाने के संबंध में।

परीक्षा कार्य हेतु सेमेस्टर व वार्षिक परीक्षा में परीक्षा विभाग के अधिकारियों व कार्मिकों को दिये जाने वाले मोबाइल रीचार्ज सुविधा के सम्बन्ध में समिति द्वारा यह संस्तुति दी गई कि परीक्षा अवधि के दौरान परीक्षा नियंत्रक के आनुषांगिक व्यय को बढ़ाकर 20,000 किया जाए।

7.13 अध्यक्ष महोदय की अनुमित से अन्य विषय।

परीक्षार्थी और अध्ययन केन्द्र द्वारा परीक्षा फार्म समय से न भरने के कारण परीक्षा समिति ने कुमाउं वि0वि0 की तर्ज पर परीक्षा फार्म भरने के एक माह तक की अवधि के बाद विलम्ब शुल्क को निम्न चार स्लैबों में बढ़ाने की सहमति दी :

1- 01 माह तक परीक्षा फार्म बिना विलम्ब शुल्क के साथ।

2- उसके बाद 15 दिन तक विलम्ब शुल्क रू0 250/-

3- 16 वें दिन से 10 दिन तक विलम्ब शुल्क रू0 500

4- उसके बाद से 07 दिन तक विलम्ब शुल्क रू0 1000/-

5- उसके बाद अंतिम 05 दिन तक विलम्ब शुल्क रू0 2000/-

अन्त में अध्यक्ष महोदय के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक समाप्त की गयी।

(प्रो0 सुभाष धूलिया)
कुलपति /अध्यक्ष

For
(प्रो0 गोविन्द सिंह)
परीक्षा नियंत्रक